संख्या-1/2026/358/52-2-2026-52-2002(002)/5/2021

प्रेषक,

दया शंकर ओझा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2026

विषय-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से मानक मद-44 एवं 58 में धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4057/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/2025-26, दिनांक 12.02.2026, जिसके द्वारा मानक मद-44-प्रशिक्षण व्यय में रु0 1.50 लाख एवं मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु रु0 01.10 लाख की आवश्यकता को दर्शाते हुए पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2070-800-03 के अन्तर्गत मानक मद-44-प्रशिक्षण व्यय में रु0 1.50 (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) तथा मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु रू0 01.10 लाख (रूपये एक लाख दस हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रु0 2.60 लाख (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2070-800-03 के अन्तर्गत मानक मद-01-वेतन मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष उपलब्ध बचतों से संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-09 के अनुरूप पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 02.60 लाख अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
(5) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के मानक मद-44-प्रशिक्षण व्यय एवं मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा। यह धनराशि लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण-01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग कर की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आर.ई.संख्या-**बजट-1-412** दिनांक 28.02.2026 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-बी0एम0 9 प्रपत्र (मूलरूप में)

भवदीय,

(**दया शंकर ओझा**)
संयुक्त सचिव।

https://srasardesh.up.gov.in

संख्या-358(1)/52-2-2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त(ई-4) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**दया शंकर ओझा**)
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in